186 **ईश्वर दयाल जी के नेता संबंधी प्रश्नो के उत्तर**
(ख) रामतीर्थ अग्रवाल द्वारा रामानुजगंज प्रयोग की प्रसंसा
(ग) छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा स्वराज्य की जगह सुराज्य कीसमीक्षा
(घ) राजीव भगवन के स्पष्टी करण

पूर्वार्ध

(क)श्री ईश्वर दयाल जी राजगीर नालन्दा बिहार

प्रश्न1— ज्ञान तत्व 180 के आवरण आलेख समस्याओं के प्रणेताः कर कानून नेता के मुखडे और अन्तर्वस्तु की विसंगति उल्लेख है केवल अंतिम बिन्दु नेता का ही विश्लेषण हो पाया हैं । प्रथम दो कर कानून अधूरे रह गये हैं ।

यदि श्री अनिल सद्गोपाल जी शिक्षा के सिर्फ और सिर्फ सरकारीकरण के पक्षधर हैं (पृष्ट9) तो आपका चिन्तन खतरनाक रूप से उसके निजीकरण की ओर झुका प्रतीत होता है । आप शिक्षा से तो सरकार को पूरी तरह बाहर निकाल देना चाहते हैं (पृष्ट11)शिक्षा और स्वास्थ्य को समाज का विषय मानते हैं (पृष्ट12)भूख और रोटी को सरकार के हाथ में दे देना चाहते हैं, यह तो हत्यारे के हाथ से पिस्तौल छीन कर उसे तोप थमा देने जैसा होगा । भूख और रोटी के नाम पर ही वामपंथियों ने आम जनता के सारे अधिकार अपने पास समेट लिये थें । परिणाम सामने है । रोटी देने वाले शासन के अनाचार पर जब भीष्म द्रोण जैसे महारथी उंगली नही उठा पाये तो अशिक्षित जनता से क्या आश की जा सकती है? हाथी मालिक की नहीं , उसका सुनता है जो उसे दाना देता है और बेटा बाप का नहीं उसका सुनता है जो उसे खाना देता है। वैसे भी राशनिंग व्यवस्था बिल्कुल अभारतीय हैं । भारत में भूख और रोटी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के समान समाज के ही विषय रहे हैं । सारे भारत में सदियों से अनवरत चलने वाले अन्न वस्त्र समाज के ही सहारे चल रहे हैं। सरकारी कोटे परमिट तो भ्रष्टाचार के जनक हैं । सरकारों को सुरक्षा और न्याय तक ही सीमित रहने देना समीचीन होगा ।

उत्तर — मेरा प्रारंभ से ही मत रहा है कि राज्य को सुरक्षा और न्याय तक ही सीमित रहना चाहिये क्योंकि सुरक्षा और न्याय राज्य का दायित्व होता हैं तथा अन्य सभी कार्य उसके स्वैच्छिक कर्त्तव्य । स्वैच्छिक कर्त्तव्य तथा दायित्व के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है । राज्य का दायित्व नागरिको के मौलिक अधिकार होते हैं जबकि राज्य के स्वैच्छिक कर्त्तव्य नागरिकों के मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार होते है। राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी नही कर सकता । दुर्भाग्य से वामपंथी अवधारणा दुष्प्रचार ने मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार की

परिभाषाओं को भी दूषित किया और संवैधानिक अधिकार तथा स्वैच्छिक कर्त्तव्य की परिभाषा को भी । मैने कभी भी भूख और रोटी को शासन का दायित्व नही कहा । मैं तो सिर्फ यही लिखा था कि श्री अनिल सद्गोपाल समान शिक्षा की बात तो करते है किंतु समान भुख और समान रोटी की नहीं करते जो शिक्षा से भी महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं । मेरा आशय सरकार को शिक्षा से हटाकर अनाज वितरण या ऐसे अन्य कार्य का समर्थन करना नहीं है ।

अनिल सद्गोपाल जी का टी0वी0 में शिक्षा संबंधी इंटरव्यु मैने सुना हैं । ऐसा लगा जैसे वे सरकारी करण के समर्थन में किसी संस्था की ओर से भौंडी वकालत कर रहे हैं । न उन्हें समाज शास्त्र का कोई ज्ञान है न ही समाज व्यवस्था का अनुभव । असफल सिद्ध हो चुकी अब तक की शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में वही पुराने घिसे पिटे तर्क देकर वे अपना भी समय बर्बाद कर रहे थें और दर्शकों का भी । मुझे तो ऐसे लोगो की बुद्धि पर भी शक होता है जिन्होंने उन्हें शिक्षा शास्त्री मान रखा हैं । वे तो पूरी तरह सरकारी करण की वकालत करते ही नजर आये ।

(ख)प्रश्न : 2 – श्री रामतीर्थ अग्रवाल, मनोरोग विज्ञानी, हरिनगर दिल्ली।

समीक्षा : आपने सरगुजा जिले के रामानुजगंज ब्लाक के सौ गॉवों में जिस लोक ग्राम सभा का चित्र खींचकर सम्मेलन में बताया वह सिर्फ हवाई बातें न होकर एक धरातल का यथार्थ हैं । ऐसी ग्राम सभाऍ सिंर्फ वर्तमान ट्रेडीशनल ग्राम सभाओं को ललकार ही नहीं रही बल्कि वास्तविक समाधान भी प्रस्तुत कर रही है ।

वर्तमान में ग्राम सभाओं का जो स्वरूप है वह तो संघर्ष का अखाड़ा मात्र है । पंच सरपंच और अधिकारियों के बीच अधिकारों का संधर्ष चलता ही रहता है । दूसरी ओर आदिवासी हरिजन सवर्ण स्त्री पुरूष आदि के बीच भी खींचतान चलती ही रहती है। आपने जो चित्र रखा उसमें ऐसे सभी विवादों से मुक्ति मिलेगी । ये सभाऍ टकराव पैदा न करके दूर करने का आधार बनेगीं । प्रकाशवीर जी शास्त्री हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता । यदि उसका चिन्तन तथा उसकी सकियता ठीक दिशा में हो तो वह अकेला व्यक्ति भी हजारों को राह दिखा सकता है । आपका यह प्रयास सिर्फ अकेले का प्रयास न होकर हम सबका प्रयास है । आप लोक ग्राम सभा के प्रयत्नों को मजबूती से बढ़ाइये हम सब आपके साथ हैं ।

उत्तर – पचपन वर्षो की निरंतर खोज के अनुभव के आधार पर निकले निष्कर्षो के मूर्त रूप देने का समय आ गया । एक ओर तो हम समाज सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ज्ञानतत्व विस्तार कार्यकम शुरू कर ही चुके हैं दूसरी ओर राज्य कमजोरी

करण अभियान को भी दो भागों में किया जा रहा हैं **(1)**संविधान में परिवार गॉव जिले के अधिकारों की सूची शामिल कराने के लिये राष्ट्रव्यापी जनमत जागरण **(2)** धर्म जाति क्षेत्र लिंग उम्र के भेदभाव मुक्त ग्राम पंचायतों का एक ब्लाक में गठन। यह गठन जल्दी ही शुरू हो रहा है। मैने दिल्ली में इस संबंध में बताया भी था। जब तक हम बिल्कुल गॉव स्तर से जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, उम्र, गरीब अमीर के भेदभाव मूलक सरकारी कानूनों से मुक्त व्यवस्था तैयार नहीं करते तब तक समाज टूटता ही रहेगा ।

आज ही हमारे एक साथी ने हिन्दी के साथ हो रहे भेदभाव के प्रति कुछ करने की बात कही है । कई साथी महिलाओं के साथ हो रहें भेदभाव की बात करते हैं तो कई हिन्दुओं के साथ या आदिवासी हरिजनों के साथ। यदि अपने साथियों के उक्त विचारों पर हम विचार करें तो इन भेदभाव में सच्चाई भी दिखती है। मैं ऐसे भेदभाव मूलक व्यवहारों से इन्कार नहीं करता किंतू मैं समझता हूँ कि इन सब प्रकार के भेदभाव से भी अधिक घातक भेदभाव है शराफत के विरूद्ध धुर्त अपराधी तत्वों का सशक्तिकरण।

मेरे विचार में पहले शराफत की सुरक्षा की सक्रियता आवश्यक है। उसके बाद हम अन्य सक्रियताओं पर बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य सभी भेदभाव दूर करने के प्रयत्न इस शराफत सशक्तिकरण अभियान में बाधक हैं, साधक नहीं। फिर भी यदि कोई साथी वह काम कर रहे हैं तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे इस राह पर चलने से मत भटकाइये। अभी उन्नीस बीस सितम्बर को सेवाग्राम में आर्थिक असमानता को गुलामी तथा अपराधीकरण से भी अधिक खतरनाम बताने वाले साथियों से दो टूक शब्दों में कहा गया कि आप अपनी राह चलने को स्वतंत्र हैं किंतु आप भविष्य में लोक स्वराज्य की बैठकों में आवें तो लोक स्वराज के अतिरिक्त अपने ऐजेन्डे को बाहर रख कर आइये अन्यथा मत आइये। हमें आपकी सर्वोतम सलाह नहीं चाहिये। हमें चाहिये आप से लोक स्वराज पर सलाह। हमें आप से चाहिये भेदभाव मुक्त ग्राम सभा के गठन की योजना। आप सलाह दे रहे हैं भेदभाव मूलक आर्थिक विषमता दूर करने की योजना जो मुझे जरूरत नही। मैने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हम वर्ग संघर्ष की जगह गॉवो में वर्ग समन्वय की योजना पर काम करने जा रहे हैं। आपका वर्ग संघर्ष चाहे कितना भी न्याय संगत क्यों ना हो किंतु हमारी लोक ग्राम सभा के वर्ग समन्वय में वह घातक होने से वर्तमान में हमारे लिये जहर के समान ही हैं। हमारे कुछ साथियों को यह बात बुरी भी लगी और कई साथियों ने तो साथ छोड़ने तक की धमकी भी दी तो हमने उनकी नाराजगी को मान लिया और कह दिया कि हमारा लोक ग्राम सभा का गठन वर्ग समन्वय को ही आधार रखकर होगा आप साथ रहें या न रहें यह आप पर निर्भर हैं। मेरा आप से निवेदन है कि हम जिस राह पर चल रहें हैं उसके प्रति आपने समर्थन व्यक्त किया इससे हमें सम्बल मिला। प्रकाशवीर जी शास्त्री पूर्व में ही हमारे मार्ग दर्शक रहे हैं और अब उनके विचार हमारा सम्बल बने रहेंगे ।

(ग)प्रश्न 3— छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा0रमण सिंह के आप प्रशंसक हैं उन्होंने रायपुर की पत्रकार वार्ता में बताया है कि गॉधी जी स्वावलम्बी गॉव बनाकर तब ग्राम स्वराज लाना चाहते थें उनके अनुसार गॉधी जी सुशासन पहले चाहते थे जिससे सुशासन को स्वशासन की दिशा में बढ़ाया जा सके । रमण सिंह जी ने कहा है कि गॉधी जी आजादी को पहले सुराज में और बाद में स्वराज्य में बदलना चाहते थें। इस संबंध में आपके विचार क्या हैं?

उत्तर — मुझे तो आज तक पता नहीं कि गॉधी जी ने कभी सुराज के बाद स्वराज्य की बात कही । यह बात तो गॉधी जी के जाने के बाद नेहरू जी सर्वोदय नेतृत्व या अन्य जीवित गॉधी ही कहते रहे। महात्मा गॉधी ने ऐसा कभी नही कहा। रमण सिंह जी ने जो कहा है वह पूरी तरह असत्य भी है और गलत भी। असत्य तो इसलिए कि सुराज्य स्वराज्य का परिणाम होता है आधार नहीं। इसका अर्थ हुआ कि पहले स्वराज्य आयेगा और तब उसके परिणाम स्वरूप सुराज आयेगा।

पिछले साठ वर्षो से स्वराज्य के बिना सुराज की बात करने वाले देख रहे हैं कि सुराज नहीं आया क्योंकि स्वराज्य के बिना सुराज का प्रयत्न हुआ। यह असंभव तथा प्रकृति विरूद्ध प्रयत्न होने से असफल हुआ। रमणसिंह जी ने एक बात अवश्य कही है कि सुराज तो आ ही रहा है किन्तु अब स्वराज्य आना चाहिये। वे मुख्य मंत्री हैं। उनकी नजर मे सुराज आ गया चाहे आया या नहीं, यह हमारे लिये बहस का विषय नहीं। हम तो सिर्फ यही चाहते है कि रमण जी स्वराज्य की दिशा में एक कदम उठायें। वे चाहें तो स्वराज्य की दिशा में एक कदम उठाते हुए निम्न घोषणाएं कर सकते हैं ।

01. छत्तीसगढ़ का किसान अपना उत्पादन देश के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाव पर बेचने के लिये स्वतंत्र है। मैं आप को बताता हूॅ कि छत्तीसगढ़ का किसान अपना गन्ना सरकारी चीनी मिल के पच्चीस किलामीटर के अन्दर गन्ना उत्पादन करता है। किसान गुड़ नहीं बना सकता।

02. छत्तीसगढ़ का कोई भी निवासी अपनी जमीन देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिये स्वतंत्र है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अपनी जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर प्रतिबंध है। पैसा है छत्तीसगढ़ के बाहर के गैर आदिवासी की जमीन की कीमत यदि एक करोड़ है तो आदिवासी की एक लाख भी नहीं है क्योंकि आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन तो रख सकता है किन्तु पैसा नहीं। पैसा रखने का अधिकार सिर्फ सवर्णो के पास सुरक्षित है।

03. छत्तीसगढ़ में कृषियोग्य भूमि में खरीदने के दस वर्ष तक कोई उघोग नहीं लगाया जा सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि घट जाने का खतरा है

। इसका अर्थ यह हुआ कि दिल्ली हरियाणा पंजाब के लोग कृषि भूमि में उधोग लगा सकते है किंतु छत्तीसगढ़ के लोग कृषि भूमि में उघोग नही लगा सकते। गैर आदिवासी भी अपनी जमीन ऐसे गैर आदिवासी को नहीं बेच सकता जो कोई मकान बनाना चाहे या छोटा मोटा भी उघोग लगाना चाहे।

04. छत्तीसगढ़ का किसान अपने निजी भूमि पर लगे पेड़ नहीं काट सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ का पेड़ कटने से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के पर्यावरण को नुकसान होगा।

ऐसे अनेक कानून है जो शहरी सवर्णो को सशक्त करने के लिये छत्तीसगढ़ की रमण सिंह सरकार में आज तक इस तरह चल रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा की सम्पन्न भैसों का चरागाह है। इसे एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में ही रहना चाहिये क्योंकि यही इनकी संस्कृति है और यही सम्पन्नों शहरों की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के लोग जमीनें मनमाने बेचकर बराबरी में ना आ जावें, गन्ने का मनमाना गुड़ ना बना लें, पेड़ न काट दें या कोई उघोग ना खोल लें इसके लिये उनकी संस्कृति को बचाने के नाम पर उनके पुराने स्वाभिमान की याद दिलाते रहना आवश्यक मानकर योजनाएॅ बन रही हैं ।

मेरा रमण सिंह जी से निवेदन है कि वे छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति सुरक्षा के नाम पर पिछड़े नमूने के रूप में अविकसित बनाये रखने के षडयंत्र से सावधान रहें तभी स्वराज आ सकेगा और इसकी पहली किश्त के रूप में वर्ग संघर्ष को वर्ग समन्वय में बदलने की पहल छत्तीसगढ़ से हो तो अच्छा होगा।

प्रश्न उठता है कि ऐसी छुट होते ही आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीदकर उन्हें भूमिहीन बना देगें। यह बात सच भी है किंतु आदिवासी जमीन रखें और बाकी लोग महल बनावें यह कितना उचित है? ग्राम सभा को पावर दीजिये कि वह निर्णय करें। सरकार अपने कानून हटा लें। यदि ग्राम सभा को पूॅजीपति ठग लेगें तब क्या होगा? मेरा प्रश्न है कि आदिवासी या ग्रामसभा नासमझ है और राज्य से जुड़े लोग धूर्त हैं या उनकी नीयत खराब है तो हम खराब नीयत वाले के साथ रहें या नासमझों के साथ। ग्राम सभा धोखा खा सकती है किंतु दे नहीं सकती। राज्य से जुडे लोग धोखा दे सकते हैं किंतु धोखा खा नहीं सकते।

स्वतंत्रता के बाद गॉव के गरीब श्रमजीवी ने धोखा खाया है और राजनीति से सम्बन्धितों ने दिया है। हर नेता कहता है कि आदिवासी ग्रामीण ठगा जायेगा। उसे बचाने के लिये सरकार है। यह गन्ने की सरकारी खरीद बाध्यता उसे बचाने के लिये किस तरह है यह आज तक समझ में नही आया। इसलिये मेरा सुझाव है कि नीयत खराब वालों की अपेक्षा नासमझी अधिक विश्वसनीय होगी। यह गंभीर विषय हैं। इस पर और चर्चा चलेगी । किंतु कृषि उपज विक्रय तो साफ विषय हैं। रमण सिंह वहीं से

शुरूआत करें। खेती की जमीन में उघोग लगाने पर रोक षडयंत्र है। इसमें तो पहल कर सकते है। अपने पेड़ काटने की छूट में तो विवाद नहीं है। कम से कम यहीं से शुरू हो ।

(घ)स्पष्टीकरण

मुझे पता चला है कि श्री राजीव भगवान जी ने अपने आंदोलन के नेतृत्व की सूची प्रकाशित की है। उस सूची में प्रवीणा देसाई, विजय कौशल जी महाराज, मधुकान्ता बेन, शरद साघक जी, राजेन्द्र जी जोशी, सीता रमैया जी, देवेन्द्र स्वरूप जी अग्रवाल तथा सुनीता जैन के साथ साथ मेरा भी नाम प्रकाशित किया है। मैने पच्चीस दिसम्बर दो हजार आठ को ही स्वयं को ट्रस्ट को समर्पित कर दिया है। इसलिये मेरे लिये ऐसे किसी कार्यक्रम के नेतृत्व की टीम में शामिल होना संभव नहीं हैं। यह बात राजीव जी को मैने बता भी दी थी। मैं पुनः स्पष्ट कर दूॅ कि ऐसे किसी भी आयोजन के आयोजक या नेतृत्व में मेरी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। आवश्यकतानुसार आमंत्रित के रूप तक ही मेरी भूमिका समझी जानी चाहिये।